



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
बिहार लोक भवन, पटना-800022

अधिसूचना

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 9(7)(i) में निहित शक्तियों के आलोक में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा डॉ. विनोद कुमार, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं डॉ. रविश कुमार, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में पारस्परिक स्थानांतरण के तहत संबंधित विश्वविद्यालयों से प्राप्त अनुशंसा/ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर सम्यक् विचारोपरांत तत्कालिक प्रभाव से अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण करने की कृपा की गयी है।

2. स्थानांतरित सहायक प्रध्यापकों को नव पदस्थापित विश्वविद्यालय में योगदान देने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर / ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा स्थानांतरित किये गये सहायक प्रध्यापकों की सेवापुस्त, सेवा अभिलेख, अद्यतन भविष्य निधि लेखा आदि दस्तावेज परस्पर संबंधित विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से,

ह./—

(संजय कुमार)

राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक— BSU(IUT)-58/2026—

/रा.स.(1),

दिनांक—

प्रतिलिपि:— कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर / ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/ डॉ. विनोद कुमार, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ डॉ. रविश कुमार, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक— BSU(IUT)-58/2026—

2235/रा.स.(1),

दिनांक—

26/09/26

प्रतिलिपि:— माननीय राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित / संयुक्त निदेशक, NIC को बिहार लोक भवन के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/ संबंधित पदाधिकारी, विश्वविद्यालय शाखा, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/26

राज्यपाल के अपर सचिव